

प्रेषक,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल, 2020

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-10 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से होने वाले प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं०-303/1-11-2016-4(जी)/2016, दिनांक: 27.06.2016 एवं अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना तथा अधिसूचना सं०-393/1-11-2018-4(जी)/2016, दिनांक: 17.10.2018 द्वारा मानव वन्य-जीव द्वन्द्व को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वर्ष 2020-21 में आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली आदि आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन **रु० 10,50,00,000.00 (रु० दस करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)

क्रम सं०	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
1	चंदौली	10.00
2	सोनभद्र	20.00
3	महोबा	10.00
4	उन्नाव	10.00
5	प्रयागराज	20.00
6	अम्बेडकरनगर	10.00
7	अमरोहा	10.00
8	भदोही	20.00
9	हरदोई	20.00
10	बांदा	20.00
11	बदायूँ	20.00
12	फतेहपुर	20.00
13	सीतापुर	20.00
14	लखनऊ	20.00
15	रायबरेली	20.00
16	फर्रुखाबाद	10.00
17	प्रतापगढ़	20.00

18	सम्भल	10.00
19	फिरोजाबाद	10.00
20	चित्रकूट	20.00
21	बिजनौर	10.00
22	बहराइच	10.00
23	औरैया	10.00
24	अयोध्या	10.00
25	सुलतानपुर	10.00
26	श्रावस्ती	10.00
27	आजमगढ़	20.00
28	ललितपुर	10.00
29	गोरखपुर	20.00
30	अलीगढ़	10.00
31	हमीरपुर	10.00
32	गाजीपुर	10.00
33	गौतमबुद्धनगर	10.00
34	गोण्डा	10.00
35	कानपुर नगर	10.00
36	बलरामपुर	10.00
37	मैनपुरी	10.00
38	कुशीनगर	10.00
39	कन्नौज	10.00
40	कासगंज	10.00
41	सहारनपुर	10.00
42	बलिया	20.00
43	बाराबंकी	20.00
44	बरेली	20.00
45	जौनपुर	20.00
46	पीलीभीत	10.00
47	आगरा	20.00
48	अमेठी	20.00
49	बागपत	10.00
50	बस्ती	10.00
51	बुलन्दशहर	20.00
52	देवरिया	20.00
53	एटा	10.00
54	इटावा	10.00
55	गाजियाबाद	10.00
56	हापुड़	10.00
57	हाथरस	10.00
58	जालौन	20.00
59	झांसी	20.00
60	कानपुर देहात	10.00
61	कौशाम्बी	10.00
62	लखीमपुर खीरी	20.00
63	महाराजगंज	10.00
64	मथुरा	20.00
65	मऊ	10.00
66	मेरठ	20.00
67	मीरजापुर	20.00
68	मुरादाबाद	10.00
69	मुजफ्फरनगर	10.00

70	रामपुर	10.00
71	संतकबीर नगर	10.00
72	शाहजहापुर	20.00
73	शामली	10.00
74	सिद्धार्थनगर	10.00
75	वाराणसी	20.00
योग		1050.00
(रूपये दस करोड़ पचास लाख मात्र)		

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। **टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।**

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक: 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक: 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

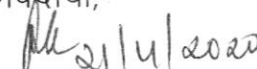
(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,


(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

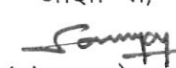
संख्या-198 (1)/एक-10-2020-33(36)/2018 टीसी-11, दिनांक: 21 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- समस्त जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल।


26.4.2020

आज्ञा से,


(संजय गोयल)
सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-22/04/2020

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

198
020-33
51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	42-अन्य व्यय	योग
1	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 152000000	2000000 152000000
2	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 122000000	2000000 122000000
3	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 122000000	2000000 122000000
4	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
5	बलिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 122000000	2000000 122000000
6	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 152000000	2000000 152000000
7	बस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
8	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 132000000	2000000 132000000
9	देवरिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 122000000	2000000 122000000
10	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 152000000	2000000 152000000
11	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 131000000	1000000 131000000
12	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 132000000	2000000 132000000
13	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 132000000	2000000 132000000
14	हरदोई-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 132000000	2000000 132000000
15	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 132000000	2000000 132000000
16	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 131000000	1000000 131000000
17	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 131000000	1000000 131000000
18	बहराइच-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 131000000	1000000 131000000
19	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 131000000	1000000 131000000
20	प्रतापगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 132000000	2000000 132000000
21	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 132000000	2000000 132000000
22	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
23	गजियाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 151000000	1000000 151000000
24	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 131000000	1000000 131000000
25	मऊ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	39000000 3289000000	39000000 3289000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया तीन करोड़ नब्बे लाख
रूपया तीन अरब अठाईस करोड़ नब्बे लाख

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त
उ०प्र० शासन

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-22/04/2020

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

198
019-33
51 राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
2	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 131000000	1000000 131000000
3	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 122000000	2000000 122000000
4	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
5	महोबा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
6	संत रविदास नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 122000000	2000000 122000000
7	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
8	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 131000000	1000000 131000000
9	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 151000000	1000000 151000000
10	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
11	हाथरस-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
12	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 131000000	1000000 131000000
13	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
14	औरैया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
15	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
16	बागपत-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
17	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
18	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 131000000	1000000 131000000
19	अमरोहा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
20	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 122000000	2000000 122000000
21	कांसगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
22	अमेठी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 132000000	2000000 132000000
23	हापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
24	शामली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
25	सम्बल-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 121000000	1000000 121000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	29000000 3109000000	29000000 3109000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया दो करोड़ नब्बे लाख
रूपया तीन अरब दस करोड़ नब्बे लाख

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त
उ०प्र० शासन